



संख्या- 2449/जी0एस0(शिक्षा)/A16-18/2024

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2024

महोदय,

कृपया सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के पत्र संख्या-1071 दिनांक 04 मई, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
राजकीय आदर्श महाविद्यालय, देवीधुरा, चम्पावत	बी0ए0-हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र	160	2022-23
	बी0एससी0-गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान	60	
	बी0एससी0-रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान	60	

(1) राजकीय आदर्श महाविद्यालय, देवीधुरा, चम्पावत के भवन के अन्तर्गत बहुद्देशीय कक्ष निर्धारित मानक से कम है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि वांछित मानक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें।

(2) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

Signed by Swati S
Bhadauria

Date: 25-10-2024 13:48:35

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या- 2449 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A16-18 /2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनु सचिव।